संख्या-13/2026/106/एक-5-2026-55/2023

प्रेषक,

राजाराम द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 26 फरवरी, 2026**

विषय- जनपद मैनपुरी की नवसृजित तहसील कुरावली के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2032/12-भवन-93/2016, दिनांक 23.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी की नवसृजित तहसील कुरावली के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1381.66 लाख जी0एस0टी0 सहित पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 159.30 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-19/2024/1627/एक-5-2023-55/2023 दिनांक 28.02.2024 द्वारा एवं शासनादेश संख्या-12/2025/1263/एक-5-2024-55/2023, दिनांक 10.02.2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 432.51 लाख अवमुक्त/स्वीकृत किया गया है। अर्थात कुल रू0 591.81 लाख अवमुक्त किया गया है।

3- उक्त के क्रम में जनपद मैनपुरी की नवसृजित तहसील कुरावली के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1381.66 लाख के सापेक्ष प्राप्त हुई अनुबंधित लागत रू0 1372.09 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 68.6045 लाख को रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 711.6755 लाख (रू0 सात करोड ग्यारह लाख सड़सठ हजार पॉच सौ पच्चास मात्र) तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में परियोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(12) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा **जिलाधिकारी** द्वारा प्रत्येक सप्ताह की जायेगी, जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाये और न ही स्वीकृत धनराशि का डायवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाये, अन्यथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत कोई अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) परियोजना का थर्ड पार्टी के रूप में किसी प्रतिष्ठ तकनीकी संस्थान से समय-समय पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही सामग्री का ऑडिट कराया जायेगा तथा उसकी रिपोर्ट राजस्व परिषद के साथ ही शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) परियोजना हेतु अनुमोदित मात्राओं एवं दरों के अनुसार निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) परियोजना की रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि को निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21 प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजाराम द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/106(1)/एक-5-2026-55/2023:: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, मैनपुरी ।
7- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज(सी0 एण्ड डी0एस0),उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ/परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-43, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम,(शहरी) फर्रूखाबाद,मुख्यालय कन्नौज ।
8- नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- राजस्व अनुभाग-6
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(शैलन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।